न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं. उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण सं.:–340/2021
वादपत्र अर्न्तगत धारा:– 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. लालचन्द 2. जगदीश पुत्रगण बनवारीलाल जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. दलीपकुमार पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया 2. सरस्वती देवी धर्म पत्नी हजारी लाल बैनीवाल जाति जाट मकान नं. 65 सैक्टर नं. 9 विनय वाटिका के सामने हनुमानगढ़ 3. राजकुमारी धर्म पत्नी महेन्द्रप्रतापसिंह नैण जाति जाट निवासी व्यास कलोनी मरूधरा ग्रामिण बैंक के पास बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर । 4. सुचित्रा धर्म पत्नी प्रेम कुमार सहू जाति जाट निवासी नुआ तहसील भादरा 5. सुमित्रा धर्म पत्नी रणजीत ख्यालिया जाति जाट निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन 6. मन्जूदेवी धर्मपत्नी रणवीरसिंह साहरण जाति जाट निवासी महादेव कालोनी श्रीगंगानगर 7. सुनिता देवी पत्नी अनिल पुनिया पुत्री स्व. सावित्री देवी जाति जाट निवासी आर.एच बी कॉलोनी झुझनु 8. सुनीलकुमार 9. सन्दीपकुमार 10. आनन्द कुमार 11. नवीनकुमार 12. रजनीश कुमार 13. आलोक कुमार पुत्रगण स्व. सावित्री देवी पत्नी रणवीर जाति जाट निवासी राजपुरा तहसील तारानगर जिला चुरू 14. निलम धर्मपत्नी संतलाल पुत्री स्व. सावित्री देवी जाति जाट निवासी दीवानीनिया तह. तारानगर 15. ओ.बी.सी. बैंक शाखा दीनगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक 16. एम.जी.बी. ग्रामीण बैंक शाखा संगरिया 17. तहसीलदार राजस्व संगरिया

–प्रतिवादीगण

उपस्थित:–
1. श्री भीमसिंह छिम्पा एड. – वादीगण
2. श्री रामनिवास बेदी , संजीव बिश्नोई एड.– प्रति.सं. 1 से 5, 7 से 14
3. श्री अमीत कुमार बिश्नोई एड.–6

दिनांक–29.8.2022

निर्णय

वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 14 की पैतृक कृर्षि भूमि चक 2 डी.एन.जी. जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के खाता सं. 37/31 में 0.759 है. व चक 4 डी.एन.जी. जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 खाता सं. 29/26 में 8.766 है. व चक 5 डी.एन.जी. जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 खाता सं. 45/35 में 2.784 है. व इसी चक के खाता सं. 31/28 में वादीगण के नाम 1.684 है. कृर्षि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संलग्न वादपत्र है। कि कि वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित वादभूमि को लेकर वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 14 के बीच ब्राहमी घरू बंटवारानामा अर्सा दराज पूर्व हो चुका है। घरू बंटवारा अच्छी मन्दी भूमि को लेकर रास्ता खाला की सुविधा को ध्यान में रखकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरचित प्रावधानो को ध्यान में रखकर किया गया है। घरू बंटवारा में वादीगण की बहनो व स्व बहीन सावित्री देवी के पुत्र/पुत्रियो ने अपने अपने पैतृक हक हिस्से का परित्याग वादभूमि मे वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में ब.ही.ब. किया हुआ है। आज भी वो वादभूमि में अपना अपना पैतृक हक व हिस्सा नही लेना चाहते है। ना ही वादभूमि पर प्रतिवादीगण सं. 2 ता 14

29/8
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

की कभी कोई कब्जा काश्त रही है। घरा घरू बंटवारानामा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि का विवरण वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित किया गया है। कि घरू बंटवारानामा अनुसार कब्जा काश्त मुताबिक वादभूमि वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण बिना वजह सिव बट रकम राज आबयाना व बैंक ऋण इत्यादि को लेकर विवाद रहता है। जबकि वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 घरू बंटवारा अनुसार वादभूमि के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के व कब्जा काश्त मुताबिक खाता अलग कायम करवाने के अधिकारी एंव दावेदार है। कि गत माह वादीगण ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वो घरू बंटवारानामा अनुसार वादभूमि में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर कब्जा काश्त मुताबिक खाता अलग कायम करवा लेवे तो वो पहले तो आजकल आजकल करते रहे परन्तु गत सप्ताह ऐसा करने से स्पष्ट ईन्कार कर दिया। बस यही वादकारण है।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 22.9.2021 को प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5,7,8,10 ता 11 व 14 की ओर से अधिवक्ता श्री रामनिवास बेदी ने वकालतनामा मय इकबाल दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। व दिनांक 14.3.2022 को प्रतिवादीगण सं. 9 व 13 की ओर से अधिवक्ता श्री संजीव बिश्नोई ने वकालतनामा मय ईकबालदावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। व दिनांक 28.3.2022 को प्रतिवादी सं. 6 की ओर से अधिवक्ता श्री अमीत बिश्नोई वकालतनामा मय ईकबालदावा पेश किया व जबाव स्टेट पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 11.5.2022 को प्रतिवादीगण सं. 15 व 16 के बावजूद तामील हाजिर नही आने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय आदेश पारित किये गये। वादीगण के वाद का कोई विरोध पत्रावली पर नही आने के कारण विवाद्यक बिन्दु कायम नही किये जाकर साक्ष्य वादीगण करवाये गये। साक्ष्य वादीगण में वादी लालचन्द ने अपनी साक्ष्य में शपथ पत्र अं. आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश कर वाद पत्र में संलग्न दस्तावेज जमाबन्दी व विरास्तन राजस्व रिकार्ड को प्रदर्शित करवाया गया जो प्रदर्श 1 से 4 है। तथा ओर साक्ष्य पेश नही करवाना चाहते है साक्ष्य बन्द की जाती है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई वादीगण के अभिभाषक ने वादपत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुऐ बहस में कथन किया कि वादीगण का वादपत्र मांगे गए अनुतोष मुताबिक डिकी किया जावे। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने भी वादीगण के वादपत्र को मांगे गये अनुतोष मुताबिक डिकी किये जाने का कोई विरोध नही किया।

हमारे द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण की बहस पर मनन किया गया व वादीगण की ओर से पेश पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिर्काड जमाबन्दी प्रर्दश 1 से 4 तथा विरास्तन राजस्व रिकार्ड दस्तावेजी साक्ष्य तथा ब्यान गवाहान लालचन्द की साक्ष्य आदि का अवलोकन करने से वादीगण एंव प्रतिवादी सं. 1 ता 14 एक ही परिवार के सदस्य है प्रतिवादी सं. 1 वादीगण का भाई व प्रतिवादीया सं. 2 वादीगण की माता व प्रतिवादीगण सं. 3 ता 6 वादीगण की सगी तथा प्रतिवादीगण सं. 7 ता 14 वादीगण की स्व. बहीन सावित्री के वारीश है। वादीगण के वादपत्र को स्वीकार करते हुऐ सहमति का ईकबाल दावा प्रतिवादीगण ने पेश किया है। वादीगण की ओर से पेश दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 को वादग्रस्त आराजी प्राप्त होना साबित है। वादीगण की ओर से पेश विरास्तन साक्ष्य के तौर पर दस्तावेजी साक्ष्य विरास्तन ईन्तकाल की फोटो प्रतिया से वादग्रस्त आराजी विरास्तन होना साबित है। वादपत्र को कोई विरोध । हमारे समक्ष नही आने तथा विरास्तन आराजी साबित होने से वादीगण का वादपत्र डिकी किया जाना न्यायोचित है।

कियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र डिकी किया जाकर आदेश दिया जाता है कि चक

29/8
सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

2 डी.एन.जी. के खाता सं. 37/31 व चक 5 डी.एन.जी. के खाता स. 45/35 तथा चक 4 डी.एन.जी के खाता सं. 29/26 में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 दलीपकुमार घरू बटवारानामा अनुसार वादपत्र की चरण सं. 3 में वर्णितानुसार वादभूमि के खातेदार काश्तकार है तथा कब्जा काश्त मुताबिक खाता अलग कायम कायम किया जाकर चक 2 डी.एन.जी. के खाता सं. 37/31 से वादी सं. 2 जगदीश व प्रतिवादी सं. 1 दलीपकुमार तथा स्व. बहीन सावित्रीदेवी व बहीन सरस्वती,राजकुमारी, सुचित्रा सुमित्रा,मन्जू पुत्रिया स्व. बनवारीलाल का नाम कलमजन कर हिस्सा वादी सं. 1 लालचन्द के नाम व चक 5 डी.एन.जी. के खाता सं. 45/35 से वादीगण व स्व. बहीन सावित्रीदेवी व बहीन सरस्वती, राजकुमारी, सुचित्रा सुमित्रा,मन्जू पुत्रिया स्व. बनवारीलाल का नाम कलमजन कर हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 दलीपकुमार के नाम व चक 4 डी.एन.जी. के खाता सं. 29/26 से स्व. बहीन सावित्रीदेवी व बहीन सरस्वती,राजकुमारी, सुचित्रा सुमित्रा,मन्जू पुत्रिया स्व. बनवारीलाल का नाम कलमजन कर व प्रतिवादी सं. 1 दलीपकुमार का 0.737 है. हिस्सा कम कर 0.894 है. हिस्सा वादी सं. 1 लालचन्द के नाम व 1.791 है. हिस्सा वादी सं. 2 जगदीश के नाम दर्ज किया जावे। यदि प्रश्नगत आराजी पर ऋण है तो ऋण चुकता प्रमाण पत्र पेश होने पर अमल दरामद किया जावे। यह आदेश आज दिनांक 29/08/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/8/22

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

उपखण्ड अधिकारी

संगरिया

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय – सहायक कलैक्टर एवं. उपखण्ड अधिकारी, संगरिया कैम्प कोर्ट बोलावाली

बइजलास – रमेश देव (आर.ए.एस.)

---

1. लालचन्द 2. जगदीश पुत्रगण बनवारीलाल जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–वादी

बनाम

1. दलीपकुमार पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया 2. सरस्वती देवी धर्म पत्नी हजारी लाल बैनीवाल जाति जाट मकान नं. 65 सैक्टर नं. 9 विनय वाटिका के सामने हनुमानगढ़ 3. राजकुमारी धर्म पत्नी महेन्द्रप्रतापसिंह नैण जाति जाट निवासी व्यास कलोनी मरूधरा ग्रामिण बैक के पास बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर । 4. सुचित्रा धर्म पत्नी प्रेम कुमार सहू जाति जाट निवासी नुआ तहसील भादरा 5. सुमित्रा धर्म पत्नी रणजीत ख्यालिया जाति जाट निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन 6. मन्जूदेवी धर्मपत्नी रणवीरसिंह साहरण जाति जाट निवासी महादेव कालोनी श्रीगंगानगर 7. सुनिता देवी पत्नी अनिल पुनिया पुत्री स्व. सावित्री देवी जाति जाट निवासी आर.एच बी कॉलोनी झुझनु 8. सुनीलकुमार 9. सन्दीपकुमार 10. आनन्द कुमार 11. नवीनकुमार 12. रजनीश कुमार 13. आलोक कुमार पुत्रगण स्व. सावित्री देवी पत्नी रणवीर जाति जाट निवासी राजपुरा तहसील तारानगर जिला चुरू 14. निलम धर्मपत्नी संतलाल पुत्री स्व. सावित्री देवी जाति जाट निवासी दीवानीनिया तह. तारानगर 15. ओ.बी.सी. बैंक शाखा दीनगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक 16. एम.जी.बी. ग्रामीण बैंक शाखा संगरिया 17. तहसीलदार राजस्व संगरिया

–प्रतिवादीगण

वाद घोषणा हक व खाता तकसीम बाबत **मुकदमा संख्या 340/2021**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री भीमसिंह छिम्पा एड मिन जामिन मुदई श्री रामनिवास बेदी, संजीव बिश्नोई, अमीतकुमार बिश्नोई एड मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि :– अतः वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाता है कि घरू बंटवारा अनुसार चक 2 डी.एन.जी. के खाता सं. 37/31 व चक 5 डी.एन.जी. के खाता सं. 45/35 तथा चक 4 डी.एन.जी.के खाता सं. 29/26 में वादीगण व व प्रतिवादी सं. 1 दलीपकुमार को घरू बंटवारानामा अनुसार वादपत्र की चरण सं. 3 में वर्णितानुसार वादभूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर कब्जा काश्त मुताबिक खाता अलग कायम किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। कि चक 2 डी.एन.जी. के खाता सं. 37/31 से वादी सं. 2 जगदीश व प्रतिवादी सं. 1 दलीपकुमार तथा स्व. बहीन सावित्रीदेवी व बहीन सरस्वती,राजकुमारी, सुचित्रा सुमित्रा,मन्जू पुत्रिया स्व. बनवारीलाल का नाम कलमजन कर हिस्सा वादी सं. 1 लालचन्द के नाम व चक 5 डी.एन.जी. के खाता सं. 45/35 से वादीगण व स्व. बहीन सावित्रीदेवी व बहीन सरस्वती, राजकुमारी, सुचित्रा सुमित्रा,मन्जू पुत्रिया स्व. बनवारीलाल का नाम कलमजन कर हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 दलीपकुमार के नाम व चक 4 डी.एन.जी.के खाता सं. 29/26 से स्व. बहीन सावित्रीदेवी व बहीन सरस्वती,राजकुमारी, सुचित्रा सुमित्रा,मन्जू पुत्रिया स्व. बनवारीलाल का नाम कलमजन कर व प्रतिवादी सं. 1 दलीपकुमार का 0.737 है. हिस्सा कम कर 0.894 है. हिस्सा वादी सं. 1

29/8
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

लालचन्द के नाम व 1.791 है. हिस्सा वादी सं. 2 जगदीश के नाम दर्ज किया जावे। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 का खाता राजस्व अभिलेख निचे वर्णितानुसार अलग कायम किया जावे।

वादी सं. 1 लालचन्द के हक हिस्सा में आई कब्जा काश्त की भूमिः–

चंक 4 डी.एन.जी. जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2073 खाता सं. 29/26

पं. नं. 184/133 मु. नं. 26 किला नं. 1/.051, 9/.253, 10/.215, 11 से 13 /.253प्रे. 17 से 23/2.530 है., पं. नं. 183/133 मु. नं. 27 किला नं. 15/.126, 16/.240, 25/.253, 17/.076, 24/.072

चक 5 डी.एन.जी. जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 खाता सं. 31/28

पं. नं. 184/134 मु. नं. 11 किला नं. 1, 2/.228 प्रे.(.50गै.मु.), पं. नं. 183/134 मु. नं. 12 किला 5/.228 (.025गै.मु.), 6/.083

चक 2 डी.एन.जी. जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 खाता सं. 37/31 में दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा 0.759 है.

वादी सं. 2 जगदीश के हक हिस्सा में आई कब्जा काश्त की भूमिः–

चक 4 डी.एन.जी. जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2073 खाता सं. 29/26

पं. नं. 183/132 मु. नं. 19 किला नं. 25/.228(.025गै.मु.), पं. नं. 184/133 मु. नं. 26 किला नं. 1/.076, पं. नं. 183/133 मु. नं. 27 किला नं. 2 से 5/1.012, 6/.190, 7 से 13/1.771, 14/.228, 15/.025, 17/.063, 18 से 20/.759, 22/.253, 23/1/.083

प्रतिवादी सं. 1 दलीपकुमार के हक हिस्सा में आई कब्जा काश्त की भूमिः–

चक 5 डी.एन.जी. जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2073 खाता सं. 45/35 में दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा 2.784 है.

चक 5 डी.एन.जी. जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 खाता सं. 31/28

पं. नं. 183/134 मु. नं. 12 किला नं. 3/.152(.014गै.मु.), 4/.228(.025गै.मु.), 6/.170, 7/.253

चक 4 डी.एन.जी. जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2073 खाता सं. 29/26

पं. नं. 183/133 मु. नं. 27 किला नं. 23/1/.081, 23/2/.013, 24/.143

यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिकित दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज...X...मुब्लिक ...X... बाबत ...X... खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयाबी तक ...X... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 29/08/2022 को जारी किया गया।

(रमेश देव)

सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी

कैम्प बोलावाली, संगरिया